

कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, बिजनौर।

पत्र संख्या: 1266-08/अभि0 38/ 2008

दिनांक: जुलाई 26, 2008

सेवा में,

माननीय मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:— लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना अधिकार 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), बिजनौर के कार्यालय पत्रांक:122/ आ0लि0 प्रशा- सू0का0अधि0 2005/ 07 दिनांकित 21.07.2008 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त सन्दर्भित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं की सूचना की एक प्रति मय सी0डी0 के आपको सीधे भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना अधिकार 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर सूचना मय सी0डी0, संलग्न कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
बिजनौर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), बिजनौर को मय सी0डी0 सहित।
- 2— जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, बिजनौर को मय सी0डी0 सहित।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
बिजनौर।

शासनादेश संख्या: 556 / 43-2-2008-15 / 02(3) / 2007 टीसी
दिनांक 06.06.2008 का संलग्नक

कार्यालय का नाम:- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, बिजनौर।

क्र०सं०	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/ बोर्ड/ संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1) बी के अन्तर्गत तैयार कर बेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	अभियोजन विभाग (कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, बिजनौर)	16	0	0

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
बिजनौर।